

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 328 / 15

संस्थित दिनांक- 27.10.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार उम्र 48 साल
2. मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार उम्र 63 साल
3. गिलासा पुत्र वंशी बरार उम्र 58 साल
4. देवेंद्र पुत्र कोमल बरार उम्र 20 साल
सभी निवासीगण ग्राम श्यामगढ़ तहसील चंदेरी
जिला-अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.02.17 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 325, 325/34, 324, 324/34, 323/34 दो शीर्ष, 506 भाग-2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक-06.10.2015 को शाम 06:00 ग्राम श्यामगढ़ में मुन्नालाल के मकान के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी दुर्गा को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व वहां उपस्थित सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी दुर्गा सहित आशाराम, गेंदालाल व बलीराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुन्नालाल ने आशाराम को लाठी से स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं आरोपी देवेंद्र व गिलास ने आहत गेंदालाल व बलीराम को लाठी से व अभियुक्त कोमल ने फरियादी दुर्गा को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-06.10.2015 को करीबन शाम 06:00 बजे के आसपास फरियादी दुर्गा जब घर पर था उसी समय अभियुक्त मुन्नालाल आया और फरियादी के छोटे भाई बलीराम से पुराने पैसों के लेनदेन को लेकर बुरी-बुरी मां-बहन की गालियां देने लगा। जब फरियादी

के द्वारा गाली देने पर मना किया तो अभियुक्त कोमल ने कुल्हाड़ी लेकर आया और कुल्हाड़ी फरियादी के सिर में मार दी, जिससे फरियादी के यहां सिर में चोट आ गई, चोट आने से सिर में खून निकल आया। जब आहत आशाराम कुल्हाड़ी को छुड़ाने लगा तो मुन्नालाल ने लाठी मारी जो आशाराम के दाहिने हाथ व पीठ में लगी जिससे दाहिने हाथ में चोट आई जिससे उसके यहां खून निकल आया व पीठ में मून्दी चोट आई। इतने में मौके पर गेंदालाल व बलीराम ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त देवेन्द्र व गिलास ने उनसे भी लाठियों से मारपीट की जिससे बलीराम के सिर व घुटने में चोट लगी और सिर में खून निकल आया व घुटने में मून्दी चोट आई। अभियुक्तगण जाते-जाते कहा कि आज तो बच गये, अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार दूंगा, फरियादी दुर्गा अन्य आहतगण के साथ जाकर दिनांक-06.10.15 को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-410/15 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा-324, 323, 325, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-25.02.17 को फरियादी दुर्गा अ0सा0 1 सहित आहत बलीराम अ0सा0 3, आशाराम अ0सा0 2 व मृतक गेंदालाल की ओर से उसकी पत्नी राजबाई के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) 320 (4) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा-294, 325,325/34, 323/34 दो शीर्ष व 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा-324, 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक-06.10.15 शाम करीब 06:00 बजे ग्राम श्यामगढ में मुन्नालाल के मकान के पास फरियादी दुर्गा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त कोमल ने दुर्गा को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1), आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) के कथन अपने समर्थन में कराये हैं। फरियादी दुर्गा प्रसाद (अ0सा0-1) जो कि घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार आहत भी है का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना डेड साल पहले की होकर शाम करीबन 06:00-07:00 बजे की है। फरियादी के अनुसार अभियुक्तगण का उसके भाई बलीराम के साथ पैसों के लेनदेन का कुछ विवाद था, जिसके कारण अभियुक्तगण ने घर पर आकर उसके भाई बलीराम के साथ मारपीट कर दी थी। फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) के अनुसार इस घटना के समय वह घर पर नहीं था मजदूरी पर गया था तथा शाम को घर आने के बाद उसके भाई बलीराम ने उसे घटना के बारे में बताया था तथा यह भी बताया था कि आशाराम और गेंदालाल के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी। दुर्गा (अ0सा0-1) यह भी कहना है कि जब वह घर वापस आया था तो उसे उसके भाई घायल अवस्था में मिले थे।
- 07— दुर्गा अ0सा0-1 के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि उसने अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया कि घटना उसके सामने घटित हुई थी तथा घटना में अभियुक्तगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी, जब की यह साक्षी भी घटना में मुख्य आहत होकर फरियादी है। फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) अभियोजन कहानी के विरुद्ध अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहता है कि घटना के समय वह घर नहीं था बल्कि मजदूरी करने गया था तथा जब वापस लौट कर आया तो बलीराम (अ0सा0-3) ने उसे घटना के बारे में बताया था। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु संपूर्ण परीक्षण में इस साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना के समय वह मौके पर था तथा बीच वचाव में अभियुक्त कोमल ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी बल्कि इसके विपरीत दुर्गा (अ0सा0-1) का कहना है कि उसके सिर में पूर्व की चोट थी, अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की।
- 08— आशाराम (अ0सा0-2) एवं बलीराम (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात को तो स्वीकार किया है कि बलीराम (अ0सा0-3) का आरोपीगण से पैसों के लेनदेन को लेकर पुराना विवाद था और घटना दिनांक को शाम 6 बजे उक्त विवाद पर से आरोपीगण ने बलीराम के साथ लातघूसों ने मारपीट की थी। बलीराम (अ0सा0-3) ने आशाराम (अ0सा0-2) के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा बीच बचाव में झूमाझटकी करना बताया है तथा आशाराम (अ0सा0-2) को गिरने से चोट आना बताया है जिसका समर्थन स्वयं आशाराम (अ0सा0-2) ने भी अपने कथनों किया है वही दोनों ही साक्षी आशाराम (अ0सा0-2) एवं बलीराम (अ0सा0-3) गेंदालाल को भी मौके पर उपस्थित होना बताया है। परन्तु गेंदालाल के साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट की इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये हैं।
- 09— यहां यह उल्लेखनीय है कि आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ की गई मारपीट की घटना को तो स्वीकार करते हैं परन्तु इन साक्षियों का यह कहना है कि आरोपीगण ने लातघूसों से मारपीट करना बताया है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार आशाराम (अ0सा0-2) के द्वारा घटना में कोमल से कुल्हाड़ी छुड़ाने पर मुन्नालाल ने आशाराम (अ0सा0-2) को लाठी से मारपीट कर दाहिने हाथ व पीठ में उपहति कारित कि थी, जिसके संबंध में स्वयं आशाराम (अ0सा0-2) सहित बलीराम (अ0सा0-3) ने कोई कथन नहीं दिये हैं तथा गेंदालाल की मौके पर आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) ने उपस्थिति तो बताई है परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि वास्वत में अभियुक्तगण में से किसने गेंदालाल के साथ

मारपीट की थी। आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) अभियोजन कहानी के विरुद्ध यह कहते हैं कि आरोपीगण घटना के समय कोई हथियार नहीं लिये थे। अतः साक्षी आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) के कथन एक दूसरे के सामान हैं परन्तु उनके द्वारा दिये गये कथन अभियोजन कहानी से मेल नहीं खाते।

- 10— घटना दिनांक को आरोपीगण हथियार लेकर आये थे और जिसमें कोमल कुल्हाड़ी लिये था तथा बाकी अभियुक्तगण लाठियां लिये थे इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं, स्वयं फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करता है तथा स्वयं को घटना का अनुश्रुत साक्षी बताते हुये, अपने साथ आरोपीगण द्वारा कोई मारपीट न किया जाना बताता है। इस संबंध में आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं दिये के वास्तव में फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) मौके पर उपस्थित था या नहीं तथा अभियुक्तगण ने वास्तव में दुर्गा के साथ कोई मारपीट की थी अथवा नहीं। आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन देने से उन्हें पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि घटना के समय दुर्गा (अ0सा0-1) मौके पर उपस्थित था तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि कोमल ने दुर्गा के सिर में कुल्हाड़ी से उपहति कारित की थी।
- 11— फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) सहित बलीराम (अ0सा0-3) व आशाराम (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में हालांकि इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कथन दिये हैं कि बलीराम से आरोपीगण का पूर्व का पैसों के लेनदेन का विवाद था तथा घटना दिनांक को आरोपीगण ने बलीराम व आशाराम के साथ मारपीट भी की थी जिससे बलीराम (अ0सा0-3) आशाराम (अ0सा0-2) को उपहति भी कारित हुई थी परन्तु बलीराम अ0सा0-3 आशाराम अ0सा0-2 सहित मृतक गेंदालाल की ओर से प्रकरण में अभियुक्तगण से किये गये राजीनामों के आधार पर उनको कारित की गई उपहति के संबंध में अभियुक्तगण को पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है। विचार मुख्यतः इस बात किया जाना है कि वास्तव में दुर्गा (अ0सा0-1) को अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उपहति कारित की अथवा नहीं।
- 12— प्रकरण में दुर्गा (अ0सा0-1) जो कि फरियादी होकर मौके का अभियोजन कहानी अनुसार चश्मदीद साक्षी व आहत भी है परन्तु स्वयं फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) अभियोजन घटना के विरुद्ध घटना के समय मौके पर अपनी उपस्थिति से ही इंकार करता है तथा घटना के समय घर के बाहर मजदूरी पर जाना बताता है। फरियादी इस बात पर भी अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करता कि उसे अभियुक्तगण के द्वारा घटना में किसी प्रकार की उपहति कारित की गई वहीं घटना के अन्य साक्षी बलीराम (अ0सा0-3) व आशाराम (अ0सा0-2) अभियोजन कहानी के विरुद्ध फरियादी के अनुसार ही न्यायालय में दिये गये कथनों में घटना के समय दुर्गा (अ0सा0-1) की मौके पर उपस्थिति तथा कोमल के द्वारा दुर्गा (अ0सा0-1) को कुल्हाड़ी से सिर पर उपहति कारित करने की घटना से ही इंकार करते हैं तथा दोनों ही साक्षी दुर्गा को घटना के समय मौके पर उपस्थित न होना बताते हैं।
- 13— फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) सहित आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) के कथनों से घटना के समय दुर्गा (अ0सा0-1) की न तो घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है और न ही यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने दुर्गा (अ0सा0-1) को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से कोई उपहति कारित की। फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में एवं

फरियादी दुर्गा (अ0सा0-1) सहित ,आशाराम (अ0सा0-2) व बलीराम (अ0सा0-3) के द्वारा अभियोजन के समर्थन कथन न देने से यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने दिनांक-06.10.15 शाम करीब 06:00 बजे ग्राम श्यामगढ में मुन्नालाल के मकान के पास फरियादी दुर्गा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त कोमल ने दुर्गा को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 14- फलस्वरूप अभियुक्तगण कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार, मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार, गिलासा पुत्र वंशी बरार, देवेन्द्र पुत्र कोमल बरार के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार, मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार, गिलासा पुत्र वंशी बरार, देवेन्द्र पुत्र कोमल बरार को भा0दं0वि0 की धारा-324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15- अभियुक्तगण कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार, मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार, गिलासा पुत्र वंशी बरार, देवेन्द्र पुत्र कोमल बरार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति तीन लाठी एक कुल्हाडी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)